

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित सडक-पुलिया/2018-19/11493-505 दि. 6/3/19  
परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
प्रतापगढ़ ।

विषय- पुलिया निर्माण एमपी सीमा पर ग्राम पंचायत माण्डवी चकुण्डा पं.स. अरनोद की वित्तीय स्वीकृति ।

प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 8095-103 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित पुलिया निर्माण कार्य की अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ़ (मुख्यालय अरनोद) का पत्र क्रमांक 949 दिनांक 22.02.2019 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी-सार्वजनिक निर्माण विभाग

(राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
		क्र./दि.	राशि	
1	2	3	4	5
1	पुलिया निर्माण एमपी सीमा पर ग्राम पंचायत माण्डवी चकुण्डा पं.स. अरनोद	190/22.02.19	49.00	24.50

उपरोक्त कार्यों की कुल राशि 49.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त राशि रु. 24.50 लाख (50 प्रतिशत)की विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 64/ 2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से होगी। शेष राशि कार्यों की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

**कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-**

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।**
- कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सकें।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यों के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

(भवानी सिंह) तथा  
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित सडक-पुलिया/2018-19/11493-505- दि. 6/3/19  
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ ।
4. जिला कलक्टर, प्रतापगढ ।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत प्रतापगढ को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ (मुख्यालय अरनोद) को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 64/ 2018-19 दिनांक 20.02.2019 अन्तर्गत प्राप्त राशि से प्रथम किश्त की राशि 24.50 लाख रु. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ को हस्तांतरित करें
9. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जन सम्पर्क कार्यालय जिला उदयपुर /प्रतापगढ को प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
12. गार्ड पत्रावली।

✱  
अति आयुक्त (II)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
उदयपुर